



बिहार राज्य भंडार निगम

बी-2, प्रथम तल, मौर्यलोक परिसर, पटना

परिवहन / हथलन अभिकर्ता हेतु निबंधन फार्म

आवेदक का नाम :

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

परिवहन / हथलन संवेदकों के निबंधन हेतु आवश्यक अर्हता :-

1. निबंधन निम्न लिखित श्रेणी में किया जायेगा :-
श्रेणी (1) : 3.50 करोड़ रुपये से ऊपर के परिवहन/हथलन कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम। (गोदाम की क्षमता 20,000 मे.टन से ऊपर के लिए मान्य)
श्रेणी (2) : 70 लाख रुपये से 3.50 करोड़ रुपये तक के परिवहन/हथलन कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम। (गोदाम की क्षमता 0 से 20,000 मे.टन तक के लिए मान्य)
श्रेणी (3) : 70 लाख रुपये से कम तक के परिवहन/हथलन कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम। (गोदाम की क्षमता 0 से 10000 मे.टन तक के लिए मान्य)
2. उपर्युक्त श्रेणी के लिए निबंधन शुल्क निम्न प्रकार होगा :-
श्रेणी (1) : 2.20 लाख रुपये।
श्रेणी (2) : 1.00 लाख रुपये।
श्रेणी (3) : 25 हजार रुपये।
3. (क) श्रेणी दो एवं तीन में पंजीकृत संवेदक यदि चाहे तो श्रेणी एक में अतिरिक्त शुल्क जमा कर निर्बंधित हो सकते हैं लेकिन श्रेणी 1 के लिए निर्धारित योग्यता भी रखते हों। ऐसा करने पर उनकी निचली श्रेणी का पंजीकरण स्वतः रद्द समझा जाएगा।
(ख) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी निबंधन पदाधिकारी होंगे।
(ग) उपरोक्त तीनों श्रेणियों के पंजीकृत संवेदक सम्पूर्ण बिहार एवं झारखंड राज्य में बिहार राज्य भंडार निगम के क्षेत्राधीन पड़ने वाले परिवहन एवं हथलन कार्य के लिए निबंधन डालने के लिए सक्षम होंगे।
4. ट्रक का स्वामित्व- 5 ट्रक (9 मे.टन क्षमता अथवा समतुल्य) ऑनर बुक मूल अथवा सत्यापित प्रति स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं 5 ट्रक एकरारनामा के आधार पर।
5. श्रेणी 1 के लिए अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र 5.00 करोड़ एवं श्रेणी 2 तथा 3 के लिए 1.00 करोड़ का अनुमंडल पदा0/जिलाधिकारी से निर्गत।
6. वार्षिक टर्न ओवर परि0हथ0 कार्य प्रति वर्ष श्रेणी 1 के लिए 5.00 करोड़ का रिटर्न एवं 2.00 करोड़ का बैंक बैलेंस तथा श्रेणी 2 एवं 3 के लिए 50.00 लाख का आयकर रिटर्न एवं 50.00 लाख का बैंक बैलेंस। दो वित्तीय वर्ष।
7. परिवहन/हथलन कार्य हेतु (सिर्फ फार्म/कम्पनी के लिए) न्यूनतम 2.00 करोड़ एवं 85.00 लाख बैंक बैलेंस।
8. आचरण प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत।
9. आवासीय प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत।
10. लेबर लाईसेंस श्रम विभाग द्वारा निर्गत।
11. आयकर रिटर्न आयकर विभाग द्वारा रिटर्न जमा। दो वित्तीय वर्ष।
12. अपराधिक छवि शपथ पत्र।
13. संवेदक का नाम काली सूची में बिहार राज्य भंडार निगम अथवा किसी भी संस्थान के द्वारा दर्ज किया गया है या नहीं इस संबंध में वैधिक शपथ-पत्र।
14. एक स्वयं का हस्ताक्षरित फोटो।

परिशिष्ट- "क"

ठेकेदारों के निबंधन/नवीकरण के लिये आवेदन पत्र का प्रपत्र

1.	आवेदन का नाम, पिता का नाम उसकी राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं पूरा पता फोन नं., फैक्स नं. एवं मोबाईल नं.	:	
2.	संवेदक का स्वरूप-व्यक्तिगत / पार्टनरशीप / कम्पनी / समिति	:	
3.	मुख्तारनामा (Power of Attorney) धारण करने वाले व्यक्ति का नाम और उसकी राष्ट्रीयता । मुख्तारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाय ।	:	
4.	साझीदारों के नाम, उसकी राष्ट्रीयता	:	
5.	श्रेणी जिसमें सूचीकरण कराना चाहते हैं	:	
6.	क्या आवेदक या उसका कोई साझीदार या शेयर धारक का नाम काली सूची में दर्ज है,	:	
7.	निबंधन शुल्क जमा करने क संबंध में विवरणी	:	
	बैंक ड्राफ्ट संख्या	:	
	दिनांक	:	
	मूल्य	:	
	बैंक का नाम	:	

आवेदक का
अभिप्रमाणित फोटो

आवेदक के पावर
ऑफ अटार्नी धारण
करने वाले व्यक्ति की
अभि प्रमाणित फोटो

टिप्पणी :

1. ठेकेदार वैसे निविदा दाखिल करने के हकदार नहीं होंगे जिसमें उनके नजदीकी संबंधी प्रमंडलीय लेखापाल या प्रमंडलीय प्रबंधक, व्यवसाय से अन्यूनपंक्ति के पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है। किसी ठेकेदार द्वारा इस शर्त का उल्लंघन निबंधन सूचि से नाम हटाने के लिये पर्याप्त होगा।
2. नजदीकी सम्बन्धी पद से अभिप्रेत है पति/ पत्नी/ माता/ पिता/ भाई अथवा बहन।
3. मैं/हमलोग प्रमाणित करता हूँ/ करते है कि मेरा/ हमलोगों का/ के नाम ठेकेदार/ ठेकेदारों के रूप में विभाग में अभी किसी वर्ग में निबंधित नहीं है ।

आवेदक का हस्ताक्षर और पता

तिथि :



बिहार राज्य भंडार निगम

बी-2, प्रथम तल, मौर्यलोक परिसर, पटना

महत्वपूर्ण सूचनाएँ :-

आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न करें ।

1. पैन कार्ड की छाया प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित।
2. आवेदन-पत्र में चिपकायी गयी फोटो को भी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित करायें।
- 3- Address Proof.
4. बैंक ड्राफ्ट मूल में संलग्न करें।
5. यदि मुख्यतार नाम है तो उसकी अभि प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
उपर्युक्त के बिना निबंधन/ नवीकरण हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

कार्यालय उपयोग के लिए

उपर्युक्त संवेदक श्री पता
..... श्रेणी: का
निबंधन दिनांक सेतक के लिए रूपये
(डिमांड ड्राफ्ट संख्या दिनांक बैंक का नाम)
में किया गया।

उपर्युक्त संवेदक के मुख्यतार नाम के सम्बन्ध में दर्ज किया गया कि उपर्युक्त संवेदक श्री/मेसर्स.....
..... द्वारा श्री/ मेसर्स..... पता
..... को पॉवर ऑफ अटॉर्नी प्रदान किया गया है।

दिनांक.....

सक्षम पदाधिकारी /
निबंधन करने वाले पदाधिकारी
हस्ताक्षर (मुहरसहित)

चेक लिस्ट :

1. निबंधन शुल्क :-
2. आवासीय प्रमाण पत्र :-
3. आयकर चुकता प्रमाण-पत्र का अद्यतन ब्यौरा :-
4. परिवहन / हथलन कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र :-
5. ट्रक स्वामित्व-यदि हो तो उसका रजिस्ट्रेशन नं0 आदि प्रमाण-पत्र :-
6. सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र :-
7. बैंक बैलेंस का प्रमाण-पत्र :-
8. वित्तीय क्षमता सर्टिफिकेट इत्यादि :-,
9. चरित्र प्रमाण-पत्र :-
10. फोटो :-
11. लेबर लाईसेंस :-
12. काली सूची में नाम :-
13. न्यायालय द्वारा अभियुक्त :-

जाँच पदाधिकारी का हस्ताक्षर